

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक-प.6(.....)जविप्रा/सा.स्टोर/सीमित बोली/खाद्य सामग्री/2017-18/डी- 337

दिनांक:- 17/11/17

क्र.सं.	आवश्यक योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र
1.	बोलीदाता का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, फैंक्स एवं ई-मेल एवं गोदाम एवं घर का पता मय पूर्ण विवरण सहित।	बोलीदाता को संस्था के लेटर हैड पर पूर्ण विवरण अंकित कर हस्ताक्षर कर संलग्न करना है।
2.	बोलीदाता को किसी बोर्ड, कार्पोरेशन प्राधिकरण/निगम/सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय द्वारा पिछले 2 वर्षों में DEBARRED अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता को राशि रूपयें 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर DEBARRED अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं होने का स्व-प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
3.	बोलीदाता के स्वयं का पेन नम्बर होना आवश्यक है।	बोलीदाता को पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी है।
4.	बोलीदाता का GST No. registration होना अनिवार्य है।	बोलीदाता को स्वप्रमाणित G.S.T. registration संलग्न करना होगा। यदि फर्म पंजीकृत नहीं है तो अपंजीकृत बाबत स्वप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। प्रफोर्मा संलग्न है।
5.	बोलीदाता के पास TIN No. एवं Vat Clearing Certificate होना चाहिए।	बोलीदाता को 31 मार्च, 2017 तक का Vat Clearing Certificate संलग्न करना होगा।
6.	बोलीदाता के पास स्वयं की दुकान/प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन नम्बर होना आवश्यक है।	बोलीदाता को स्वप्रमाणित दुकान/प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन संलग्न करना होगा।

नोट :- उक्त तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाता की वित्तीय बोलियाँ ही खोली जावेगी।

बोलीदाता द्वारा राशी ऑनलाईन बैंकिंग से जमा करानी होगी, ऑनलाईन भुगतान की सीमाओं से अधिक राशी की स्थिति में भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से ICICI बैंक के खाता संख्या 675401700586 IFSC Code ICIC0006754 में जमा करानी होगी। सफल भुगतान के पश्चात UTR/इन्स्ट्रुमेंट नम्बर JDA की टेण्डर पोर्टल पर सम्बन्धित टेण्डर (जिसमें भाग लिया है) अपडेट करना होगा। जविप्रा द्वारा जमा राशि का सत्यापन ऑनलाईन किया जावेगा।

ऑनलाईन भुगतान एवं बोली खोलने की तिथि में कम से कम तीन दिन का अन्तर होना आवश्यक है।

उपायुक्त (सामान्य स्टाफ)
ब.वि.प्रा., जयपुर

नोट:-

1. बोलीदाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बोली ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी।
2. बोलीदाता द्वारा टेण्डर फीस बिड सिक्योरिटी एवं RISL की प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन जमा नहीं होने की स्थिति में बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. बोली में भाग लेने हेतु बोलीदाता को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 के अन्तर्गत DSC (Type III) नियमानुसार प्राप्त करनी होगी जिससे इलेक्ट्रॉनिक बिड्स पर डिजीटल सिग्नेचर कर सकें। उक्त DSC बोलीदाता किसी भी CCA से अधिकृत संस्था से प्राप्त कर सकते हैं यथा TCS, Safecrypt, Ncode आदि। जिस बोलीदाताओं के पास पहले से ही डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध है उन्हें नई DSC की आवश्यकता नहीं है। दि-30.09.2011 से पूर्व रजिस्टर्ड बोलीदाता एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> जिन बोलीदाताओं को रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें उक्त वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
4. बोलीदाता की बोली के ऑनलाईन सबमिशन में किसी भी कारण से देरी के लिए जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतः बोलीदाताओं से अनुरोध है कि इन्टरनेट सम्बन्धी खामियाँ जैसे स्लो-स्पीड, चौकिंग ऑफ वेबसाइट से बचने हेतु यथा समय पूर्ण बोली दस्तावेज अपलोड करें।
5. ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया की अन्य जानकारी हेतु बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-प्रोक्योरमेन्ट वेबसाइट पर उपलब्ध "बिडर्स मेन्युअल किट" की सहायता लें।
6. ई-टेण्डरिंग सिस्टम (ई-प्रोक्योरमेन्ट) के सम्बन्ध में बोलीदाताओं को प्रशिक्षण DOIT & C, GOR पर दिया जा रहा है प्रशिक्षण के इच्छुक बोलीदाता, प्रशिक्षण में रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु निम्न पते पर सम्पर्क किया जा सकता है। पता: [email- e-procurement cell, JDA](mailto:e-procurement_cell@jda.gov.in), व योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर No. 0141-4022688 (हैल्पडेस्क प्रातः 10 बजे से सायः 6 बजे तक कार्यदिवस में) [email - epro@rajasthan.gov.in](mailto:epro@rajasthan.gov.in)
7. प्रोक्योरमेन्ट एन्टिटी को किसी भी बोलीप्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. जब तक सफल बोलीदाता एवं खरीद इकाई (Procurement Entity) के बीच अनौपचारिक अनुबन्ध नहीं हो जाता, तब तक बोलीदस्तावेज/बोली प्रक्रिया के आधार पर कोई सवैधानिक बाध्यता उत्पन्न नहीं होगी।
9. बोली दस्तावेज में उपलब्ध कराई गई जानकारी का इरादा बोली लगाने वालों की मदद के लिए एवं एक तार्किक बोली प्रस्ताव तैयार करने हेतु है। अतः बोली प्रारूप में किसी तथ्यात्मक या अन्य त्रुटि के लिए सत्यापन (Procurement Entity से) बोलीदाता-द्वारा व्यक्तिगत रूप से करना होगा।
10. उक्त बोली पर RTPP एक्ट 2012 एवं RTPP Rule 2013 के सभी प्रावधान लागू होंगे। इन प्रावधानों में किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में RTPP एक्ट 2012 प्रभावी होगा।

A. बोलीदाता को निर्देश :-

1. बोलियाँ ऑनलाईन ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से Two Stage (द्वि-भाग) पद्धति तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित खाते में Transfer की जायें।
3. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
4. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
5. सफल बोलीदाता को राशि रुपये 1000/- के अनुबन्ध पत्र पर अनुबन्ध करना होगा।
6. बोलीदाता को इस बोली आमन्त्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure A, B, C एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न कर अपलोड करने होंगे।

व्यापक (सामान्य स्टाफ)
व.वि.प्रा., जयपुर

7. बोली के साथ बोलीदाता को बिड फीस के रूप में राशि रुपये 1000/- का शुल्क व प्रतिभूति राशि रुपये 13000/- (अक्षरों रुपये तैरह हजार मात्र) का बैंक ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित खाते में Transfer की जायें। साथ ही रुपये 1000/- **Processing Fees** के ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित खाते में Transfer की जावे। सफल बोलीदाता द्वारा कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि कार्यादेश की वास्तविक लागत का 5% का बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 7 कार्य दिवस के भीतर बैंक डी.डी. (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम से देय हो) से जमा करानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कार्य-सम्पादन प्रतिभूति के रूप में किया जा सकेगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
8. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
9. संविदा अवधि में सफल बोलीदाता एवं जविप्रा के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
10. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
11. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29 (2-ज) प्रभावी होगा।
12. अनुबन्ध अवधि में बोलीदाता समय पर आपूर्ति नहीं करने पर सामग्री का उपापन अन्य से बोलीदाता की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर कर लिया जावेगा, तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि भी जब्त कर जी जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम व पता

मोबाईल/दूरभाष नं...../.....

आयुक्त (सामान्य स्टार)
ब.वि.प्रा., जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक-प.6(.....)जविप्रा/सा.स्टोर/सीमित बोली/खाद्य सामग्री/2017-18/डी- 337.

दिनांक:- 17/11/17

प्राधिकरण में आवश्यकता के अनुरूप जलपान व्यवस्था सम्बन्धी खाद्य पदार्थ सामग्री सप्लाई संविदा हेतु

बोलीदाताओं को निर्देश एवं शर्त :-

A. बोलीदाताओं को निर्देश :-

1. बोली प्रपत्र मय शर्तों के अनुसार "प्राईस शिड्यूल" में प्रस्तुत करनी होगी, जो सदस्य सचिव (उपायुक्त, स्टोर) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत की जानी है।
2. बोली आमन्त्रण सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
3. सशर्त बोलियों अस्वीकार्य होगी।
4. बोलीदाता को संलग्न शर्तों पर हस्ताक्षर कर बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
5. जी.एस.टी. यदि लागू हो तो आईटम्सवाईज पृथक से दर्शायी जावें।

B. मूल्यांकन कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :-

1. "प्राईस शिड्यूल" में प्राप्त दर प्रस्ताव में से न्यूनतम दरों वाले बोलीदाता का चयन किया जावेगा।
2. सप्लाई की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए।
3. प्रस्तावित सप्लाई की गुणवत्ता जिसका निर्धारण समिति द्वारा किया जावेगा के आधार पर दरों की औचित्यता के दृष्टिगत अधिक दर वाले बोलीदाता की बोलियों भी स्वीकृत की जा सकती है।
4. बोलीदाता द्वारा दरें सुपाठ्य एवं स्पष्ट शब्दों व अंको में अंकित की जानी चाहिए, प्रत्येक कंटिंग पर बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
5. दरें प्रभारों एवं भाड़ें सहित दी जानी चाहिए, बोली में वर्णित दर के अतिरिक्त किसी प्रकार के प्रभार भाड़ा स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
6. सफल बोलीदाता को राशि रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर एक वर्ष हेतु अनुबन्ध करना होगा एवं 5% राशि परफोर्मेस सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी होगी।
7. "प्राईस शिड्यूल" में वर्णित सामग्रियाँ प्रोवीजनल है। समान उद्देश्य हेतु अन्य आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध करवाने हेतु भी अनुबन्धकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। जिसके लिए अनुबंधकर्ता को अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

C. अन्य शर्तें/अनुदेश :-

1. बोली के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण स्टोर शाखा से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु बोली सूचना प्रकाशित होने/Portal पर अपलोड करने के 3 दिवस के अन्दर लिखित प्रार्थना-पत्र उपायुक्त-सामान्य स्टोर को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रत्युत्तर प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 दिवस में दे दिया जावेगा।
2. सक्षम समिति को कारण बताते हुये अथवा बिना बताये बोली को निरस्त करने का अधिकार होगा।

उपायुक्त (सामान्य स्टोर)
ज.वि.प्रा., जयपुर

3. जी.एस.टी. पंजीकृत/अपंजीकृत दोनों ही फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपंजीकृत फर्म की दरों में जी.एस.टी. राशी जोड़कर ही तुलना की जावेगी।
4. यह आवश्यक नहीं है कि अनुबन्ध एक ही फर्म से किया जावें। बोली में प्राप्त न्यूनतम दर पर प्राधिकरण एक से अधिक बोलीदाताओं से समानान्तर अनुबन्ध किये जाने हेतु स्वतन्त्र है।
5. अनुबन्ध अवधि में सफल बोलीदाता समय पर आपूर्ति में असफल रहता है तो आपूर्ति सामग्री खुले बाजार से क्रय कर अन्तर राशी बोलीदाता की जमा प्रतिभूति राशी से वसूल की जावेगी।
6. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 प्रावधानों के तहत इस निविदा के साथ संलग्न Annexure-A, B & D बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। एक्ट की धारा-38 के अनुसार अपील करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या-1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रक्रियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
7. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 प्रावधानों के अनुसार निविदाकर्ता संस्था के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
8. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 के section-38 के तहत कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस Bid का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी सचिव, जविप्रा के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर है। (अपील प्रारूप Annexure-C एवं Form-I के रूप में संलग्न है)
9. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013 में वर्णित प्रावधान एवं समय-समय पर राज्य सरकार एवं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो जविप्रा एवं सफल निविदादाता द्वारा मान्य होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

मोबाइल/दूरभाष:-..... /

**आयुक्त (सामान्य स्टार),
ब.वि.प्रा., जयपुर**

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
प्राधिकरण मे जलपान सामग्री सप्लाई (2017-18)संविदा हेतु "प्राईस-शिड्यूल"

क्र.स.	सामग्री का प्रकार एवं विवरण	अनुमानित मात्रा	दर (प्रति नग/प्रति किलोग्राम/प्रति पैकेट)	GST राशि	GST सहित कुल राशि
1.	टी बैग ताज	150 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
2.	शुगर क्यूब	200 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
3.	ग्रीन टी (Lipton , Tally, Tata)	150 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
4.	खुली चाय (Tajmahal, Brook bond, Redlebal)	100 कि०ग्रा०	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
5.	टीविंग क्लासिक चाय Earl, gray	50 पैकेट			
A	YELLOW	10 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
B	BLACK	10 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
C	RED	10 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
D	GREEN	10 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
6.	खुली चीनी	150 कि०ग्रा०	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
7.	बिस्किट गुड डे	500 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
8.	नमकीन/मोनाको बिस्किट	100 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
9.	बिस्किट मीठे बेकरी	250 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

10.	बिस्किट नमकीन बेकरी	250 पेकिट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
11.	बिस्किट नाईस टाईम अन्य	200 पेकिट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
A	ओरीयो	25 पेकिट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
B	बॉरबन	25 पेकिट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
C	नाईस	25 पेकिट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
D	डाईजेस्टिव	25 पेकिट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
E	बटर वाईट	15 पेकिट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
12.	इलायची पाउडर	1 कि०ग्रा०	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
13.	दूध पाउडर (एवरीडे)	200 किग्रा.	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
14.	नैस्ले काफी पाउडर	50 किग्रा.	अंकों में रुपये 50 ग्राम 100 ग्राम..... 200 ग्राम.....		
15.	नमकीन भुजिया(बीकाजी)	50 कि०ग्रा०	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
16.	नमकीन मिक्स	50 कि०ग्रा०	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
17.	नमकीन नवरतन	10 कि०ग्रा०	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
18.	वैफर्स बडे पैकिट	150 पेकिट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
19.	चाट मसाला (एम.डी.एच)	5 पेकिट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		

20.	कैच टेबिल साल्ट (एम.डी.एच)	10 पीस	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
21.	शुगर फ्री गोल्ड	10 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
22.	कैच ब्लैक पीपर पाउडर	5 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
23.	गिरनार (देशी कच्चा)	100 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
24.	हिमालय हर्बल ग्रीन-ट्री	100 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
25.	नेपकीन	500 नग	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
26.	डिस्पोजल ग्लास (पानी पीने के लिए)	80000 नग	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
27.	गिरनार चाय पाउडर मशीन वाला	50 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
28.	गिरनार कॉफी पाउडर मशीन वाला	50 पैकेट	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		
29.	कुरकुरे साल्टेड मुंगफली	10 किग्रा. (200 ग्राम पैकेट)	अंकों में रुपये शब्दों में रुपये		

नोट:- 1-बोली के साथ संलग्न शर्तों एवं सामग्री के विवरण एवं दरों के अनुसार वर्णित सामग्रियां आपूर्ति करने हेतु सहमत हूँ।

2-शर्त संख्या बी-7 के अनुसार आदेशित सामग्री एम.आर.पी. पर आपूर्ति करने हेतु भी सहमत हूँ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम व पता

मोबाईल / दूरभाष नं. /

जयपुर (सामान्य स्टोर)
ब.वि.प्र., जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्राधिकरण में जलपान सामग्री सप्लाई (2017-18) में अपंजीकृत होने बाबत स्वप्रमाणित शपथ पत्र (प्रफोर्मा)

मैं/हमारी फर्म जिसका नाम है

शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मेरी फर्म का वार्षिक कारोबार

रशि 20.00 लाख से कम है। अतः जी.एस.टी. में अपंजीकृत है। भविष्य में यदि पंजीयन

कराया गया, तो इसकी सम्पूर्ण सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को तुरन्त

उपलब्ध करवायी जावेगी।

हस्ताक्षर

शपथग्रहिता

फर्म का नाम:-

फर्म का पता:-

फर्म का मोबाईल/दूरभाष नं.:-

जयपुर (सामान्य स्टाल)
क.वि.प्रा., जयपुर